2025:CGHC:17304

प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 2206/2019

1– श्रीमती गोमती मंडावी, पति स्व. शंकर लाल मंडावी, आयु लगभग 40 वर्ष निवासी ग्राम ढेकाना तहसील नरहरपुर, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़

2– रीना मंडावी पिता श्री शंकर लाल मंडावी, आयु लगभग 17 वर्ष अवयस्क, द्वाराः प्राकृतिक संरक्षक माता अपीलार्थी क्रमांक 1 श्रीमती गोमती मंडावी, निवासी– ग्राम ढेकाना तहसील नरहरपुर ,जिला कांकेर, छत्तीसगढ़

3– विकास कुमार मंडावी पिता स्व. श्री शंकर लाल मंडावी,आयु लगभग 16 वर्ष अवयस्क,द्वाराः प्राकृतिक संरक्षक माता अपीलार्थी क्रमांक 1 श्रीमती गोमती मंडावी, निवासी– ग्राम ढेकाना तहसील नरहरपुर ,जिला कांकेर, छत्तीसगढ़ .....(दावाकर्तागण)

––– अपीलार्थीगण

विरुद्ध

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1– संतोष कुमार ध्रुव पिता श्री मोहन ध्रुव उर्फ मेहर सिंह, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी– ग्राम भोयना थानाः अर्जुनी, तहसील एवं जिला धमतरी, छत्तीसगढ़.....(वाहन चालक)

2– कैलाश कुमार सिन्हा पिता श्री श्याम लाल सिन्हा, आयु लगभग 36 वर्ष, निवासी– बांसपारा वार्ड धमतरी, तहसील एवं जिला धमतरी, छत्तीसगढ़.....(वाहन स्वामी)

3– शाखा प्रबंधक द ओरिजिनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड धमतरी, तहसील व जिला धमतरी, छत्तीसगढ़...(बीमाकर्ता)

––– प्रत्यर्थीगण

विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 2213/2019

1– श्रीमती सिया बाई पति स्व. जगत राम सोरी, आयु लगभग 48 वर्ष, निवासी– ग्राम बाबू कोहका तहसील चारामा, जिला कांकेर,छत्तीसगढ

2– कमलेश कुमार पिता स्व. श्री जगत राम सोरी, आयु लगभग 30 वर्ष, निवासी– ग्राम बाबू कोहका तहसील चारामा, जिला कांकेर, छत्तीसगढ़

3– कुमारी अर्चना पिता कमलेश कुमार सोरी, आयु लगभग 6 वर्ष अवयस्क, द्वाराः प्राकृतिक संरक्षक दादी अपीलार्थी क्रमांक 1, निवासी– ग्राम बाबू कोहका तहसील चारामा जिला कांकेर छत्तीसगढ़.....(दावाकर्तागण)

–––अपीलार्थीगण

विरुद्ध

1– संतोष कुमार ध्रुव पिता श्री मोहन ध्रुव उर्फ मेहर सिंह, आयु लगभग 55 वर्ष, निवासी– ग्राम भोयना थानाः अर्जुनी,तहसील व जिला धमतरी छत्तीसगढ़ वर्तमान निवासीः गोकुलपुर, वार्ड धमतरी, तहसील एवं जिला धमतरी छत्तीसगढ़.....(वाहन चालक)

2– कैलाश कुमार सिन्हा, पिता श्री श्याम लाल सिन्हा, आयु लगभग 36 वर्ष निवासी बांसपारा वार्ड धमतरी, तहसील व जिला धमतरी छत्तीसगढ़.....(वाहन स्वामी)

3– शाखा प्रबंधक,द ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, धमतरी, तहसील व जिला धमतरी छत्तीसगढ़...(बीमाकर्ता)

----प्रत्यर्थीगण

दोनों अपीलों में अपीलार्थीगण की ओर से: श्री पुष्पेन्द्र कुमार पटेल एवं श्री दशरथ कुशवाह,अधिवक्तागण

दोनों अपीलों मे प्रत्यर्थीगण क्रमांक 1 व 2 की ओर से: श्री पराग कोटेचा,अधिवक्ता की ओर से
श्री आलोक तिवारी,अधिवक्ता

दोनों अपीलों मे प्रत्यर्थी क्रमांक 3 की ओर से: श्री हनुमान प्रसाद अग्रवाल,अधिवक्ता

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

<u>माननीय न्यायमूर्ति श्री संजय कुमार जायप्रकरण</u>

<u>बोर्ड पर आदेश</u>

(<u>15.04.2025</u>)

1. दोनों अपीलें मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण,उत्तर बस्तर कांकेर (छ.ग.) द्वारा दावा प्रकरण क्रमांक 30/2019 एवं 31/2019 में दिनांक 07.11.2019 को पारित एक ही निर्णय से प्रोद्भूत हैं, अतः इनकी सुनवाई एवं निर्णय इस एक ही आदेश द्वारा किया जा रहा है।

2. अधिकरण के समक्ष दावों का सार संक्षिप्त में यह था कि दिनांक 15.11.2018 को शंकर लाल मंडावी और जगत राम सोरी (अब मृतक) संग्राम उर्फ सागरम सिंह के साथ मोटरसायकल से अस्पताल जा रहे थे और जब वे इंदिरा आवास पारा के पास पहुंचे तो चालक/प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने वाहन (बोलेरो) जिसका पंजीयन क्रमांक CG–05–X–7781 (संक्षिप्त में 'दुर्घटना कारित करने वाला वाहन') तेज गति और उपेक्षापूर्वक चलाया और मृतक जगत राम सोरी की मोटरसायकल को टक्कर मार दी, जिससे तीनों गिर गए और जगत राम सोरी की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई और शंकर लाल मंडावी की अस्पताल

ले जाते समय मृत्यु हो गई जबकि संग्राम उर्फ सगराम सिंह के शरीर पर चोटें आईं। इसके बाद प्रकरण की सूचना संबंधित पुलिस थाने को दी गई जिसके आधार पर दाण्डिक प्रकरण दर्ज किया गया।

3. दावा किया गया है कि दुर्घटना के समय मृतक शंकर लाल मंडावी की आयु लगभग 41 वर्ष थी। वह लोक सेवक था तथा वन विभाग में कार्यरत था। उसका मासिक वेतन 30,780/– था। शंकर लाल मंडावी की आकस्मिक मृत्यु के कारण शंकर लाल मंडावी के अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण(विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 2206/2019) को अपूरणीय क्षति हुई है, इसलिए शंकर लाल के विधिक प्रतिनिधियों ने अधिकरण के समक्ष एक आवेदन (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रकरण क्रमांक 31/2019) प्रस्तुत किया था, जिसमें 98,00,000/– रुपए के क्षतिपूर्ति का दावा किया गया जबकि जगत राम सोरी की आयु लगभग 55 वर्ष था, वह वन विभाग में दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी था। उसका मासिक वेतन 4,673/–था। जगत राम सोरी की आकस्मिक मृत्यु के कारण जगत राम के अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण(विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 2213/2019) को अपूरणीय क्षति हुई है , इसलिए जगत राम के विधिक प्रतिनिधियों ने अधिकरण के समक्ष एक आवेदन (मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण प्रकरण क्रमांक 30/2019) प्रस्तुत किया था, जिसमें 68,00,000/– रुपये के क्षतिपूर्ति का दावा किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. विद्वान अधिकरण ने अभिलेख पर प्रस्तुत साक्ष्यों की सूक्ष्मतापूर्वक जांच करने के उपरांत,दिनांक 07.11.2019 के आक्षेपित आदेश द्वारा उनके दावा आवेदनों को खारिज कर दिया, जिसके कारण उन्होंने ये अपीलें प्रस्तुत की।

5. अधिकरण द्वारा दावा आवेदन को अस्वीकार करने का आधार यह है कि दुर्घटना के समय तीन व्यक्ति मोटरसायकल में यात्रा कर रहे थे और मृतक जगत राम सोरी और मृतक शंकर लाल मंडावी ने आहत संग्राम उर्फ सगराम सिंह के साथ शराब पी रखी थी और जगत राम सोरी पंजीयन क्रमांक CG–05–C–1909 मोटरसायकल चला रहा था, अतः अधिकरण ने अभिनिर्धारित किया कि मृतक व्यक्तियों की ओर से लापरवाही थी और यह साबित नहीं किया जा सका कि दुर्घटना प्रत्यर्थी क्रमांक 1/ दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक की उपेक्षा या असावधानी के कारण हुई और न ही यह कहा जा सकता है कि दुर्घटना के घटित होने में प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की कोई सहभागी उपेक्षा थी। अतः यह अभिनिर्धारित नहीं किया जा सकता कि प्रत्यर्थी क्रमांक 1 ने दुर्घटना कारित करने वाले वाहन चलाने में उपेक्षा की है।

6. अपीलार्थीगण–दावाकर्तागण के विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि दुर्घटना प्रत्यर्थी क्रमांक 1 संतोष कुमार द्वारा मृतक जगत राम सोरी की मोटरसायकल को दुर्घटना कारित करने वाले वाहन से टक्कर मारने के कारण हुई थी, इसलिए प्रत्यर्थी क्रमांक 1 की ओर से की गई उपेक्षा को दृष्टिगत रखते हुए, अधिनिर्णय

पारित किया जाना चाहिए। दूसरा तर्क यह है कि यह ज्ञात करने हेतु कोई चिकित्सा परीक्षण नहीं किया गया था कि मृतक शराब के नशे में थे या नहीं। अपने तर्कों के समर्थन में, उन्होंने **डुलसीना फर्नांडीस व अन्य विरुद्ध जोएकिम जेवियर क्रूज व एक अन्य** (2013) 10 **एससीसी** 646 में प्रकाशित प्रकरण में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का अवलंब लिया।

7. दूसरी ओर, प्रत्यर्थीगण की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता का तर्क है कि प्रकरण के तथ्यों और परिस्थितियों में, खारिज किए जाने का आक्षेपित आदेश उचित एवं न्यायसंगत है और इसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है। अतः यह प्रार्थना की जाती है कि अपील को खारिज किया जाए।

8. पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया तथा अभिलेख का परिशीलन किया गया।

9. दावा अधिकरण ने अपने अधिनिर्णय में अभिनिर्धारित किया कि दुर्घटना के समय तीन व्यक्ति मोटरसायकल पर यात्रा कर रहे थे। शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्र.पी–8) के अनुसार मोटरसायकल सवार/मृतक जगत राम सोरी और मृतक शंकर लाल मंडावी शराब के नशे में थे, इसलिए मृतक व्यक्तियों की ओर से लापरवाही थी। फलस्वरूप यह स्थापित नहीं किया जा सका कि दुर्घटना प्रत्यर्थी क्रमांक 01 संतोष की असावधानी या उपेक्षा के कारण हुई, न ही यह कहा जा सकता है कि प्रत्यर्थी क्रमांक 01 ने किसी प्रकार की सदोष उपेक्षा से दुर्घटना में योगदान दिया। उपरोक्त के आधार पर दावा अधिकरण ने अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण के दावा आवेदनों को खारिज कर दिया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10. यह उल्लेखनीय है कि यद्यपि मृतक व्यक्तियों की पत्नी सियाबाई एवं गोमती बाई से दावाकर्तागण की ओर से परीक्षण कराया गया है, किन्तु वे चक्षुदर्शी साक्षी नहीं हैं। प्रकरण के चक्षुदर्शी साक्षी/स्वतंत्र साक्षी शिव कुमार मंडावी हैं, जिन्होंने अपने साक्ष्य में स्पष्ट रूप से कथन किया है कि दुर्घटना दिनांक को वे मृतक व्यक्तियों की मोटरसायकल के पीछे अपनी मोटरसायकल चला रहे थे, मोटरसायकल CG–05–C–1909 का चालक अर्थात जगत राम सोरी सावधानीपूर्वक अपनी मोटरसायकल को अपनी ओर चला रहा था तथा दुर्घटना कारित करने वाले वाहन का चालक अर्थात प्रत्यर्थी क्रमांक 1 संतोष ने तेज गति एवं उपेक्षापूर्वक वाहन चलाकर मोटरसायकल (CG–05–C–1909) को टक्कर मार दी, जिससे एक व्यक्ति की घटनास्थल पर ही मृत्यु हो गई तथा दूसरे की अस्पताल ले जाते समय मृत्यु हो गई। प्रत्यर्थी क्रमांक 1 संतोष के विरुद्ध प्रस्तुत आरोप पत्र (प्र.पी–1) भी इस साक्षी के कथन की पुष्टि करता है।

11. माननीय उच्चतम न्यायालय ने मोहम्मद **सिद्दीकी व एक अन्य विरुद्ध नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड व अन्य** (2020) 3 **एससीसी** 57 में प्रकाशित प्रकरण में, तथा इस न्यायालय ने **कालीराम साहू व अन्य विरुद्ध चमनलाल देवांगन व अन्य** (2014) (1) **सीजीएलजे** 431 में प्रकाशित प्रकरण में

अभिनिर्धारित किया कि ऐसे प्रकरण में जहां मोटरसायकल पर तीन व्यक्ति सवार थे, तब तक सहभागी उपेक्षा नहीं माना जा सकता जब तक कि यह स्थापित न हो जाए कि उन्होंने दुर्घटना में योगदान दिया।

12. प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत चक्षुदर्शी साक्षी शिव कुमार मंडावी के कथन से यह स्पष्ट है कि दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक ने मृतक को टक्कर मारी जिसके फलस्वरूप उनकी मृत्यु हो गई। यद्यपि मोटरसायकल पर तीन लोग यात्रा कर रहे थे, परंतु **मोहम्मद सिद्दीकी** (पूर्वोक्त) के अनुसार, अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे ज्ञात हो कि दुर्घटना के समय मृतक की ओर से कोई अनुचित कार्य किया गया था, जिससे दुर्घटना हुई। जहां तक मद्यपान कर वाहन चलाने का प्रकरण है, यद्यपि शवपरीक्षण रिपोर्ट (प्र.पी–8) के अनुसार मृतक के शरीर पर शराब पाई गई थी, लेकिन यह ज्ञात करने हेतु कोई सटीक समय नहीं बताया गया है कि मृतक ने कब शराब पी और दुर्घटना हुई। अभिलेख पर ऐसा कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं है, जिससे ज्ञात हो कि दुर्घटना के समय मृतक शराब के प्रभाव में थे या वे नशे में थे।

13. माननीय उच्चतम न्यायालय ने **जीजू कुरुविला व अन्य विरुद्ध कुंजुजम्मा मोहन व अन्य(2013) 9 एससीसी 166** के प्रकरण में विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया है कि "शवपरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है कि पीड़ित व्यक्ति वाहन को तेज गति एवं उपेक्षापूर्वक चला रहा था"। वर्तमान प्रकरण में भी शवपरीक्षण रिपोर्ट के अनुसार यद्यपि मृतक व्यक्तियों के पेट में शराब पाई गई थी, परंतु यह नहीं माना जा सकता है कि वे वाहन को तेज गति एवं उपेक्षापूर्वक चला रहे थे। यह साबित करना प्रत्यर्थीगण का दायित्व था कि मृतक की ओर से की गई उपेक्षा थी, परंतु प्रत्यर्थीगण की ओर से न तो किसी साक्षी और न ही प्रत्यर्थी क्रमांक 1 (वाहन चालक) का परीक्षण कराया गया है।

Web Copy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

14. उपर्युक्त विमर्श के दृष्टिगत, दावा अधिकरण का यह निष्कर्ष उचित नहीं पाया गया कि अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण के दावा आवेदनों को मृतक व्यक्तियों की ओर से की गई उपेक्षा के आधार पर खारिज कर दिया गया, बल्कि यह साबित हो गया कि दुर्घटना दुर्घटना कारित करने वाले वाहन के चालक द्वारा तेज गति एवं उपेक्षापूर्वक वाहन चलाने के कारण हुई। अतः मैं अपीलार्थीगण/दावाकर्तागण को विधि के अनुसार क्षतिपूर्ति प्रदान करना उचित समझता हूं।

<u>विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 2206/2019</u>

15. मृतक शंकरलाल मंडावी की आय के संबंध में, दुर्घटना के समय उनकी आयु लगभग 41 वर्ष थी, उनकी वेतन पर्ची (प्र.पी.–20) के अनुसार उनकी मासिक आय रु. 30,780/– थी। मैं मृतक की आय रु. 30780/– प्रतिमाह लेना उचित समझता हूँ, वार्षिक आय रु. 3,69,360/– प्रति वर्ष होती है।

नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी व अन्य (2017) 16 एस.सी.सी. 680 के अनुसार भविष्य की संभावनाओं हेतु 30% जोड़ने के बाद अर्थात रु. 1,10,808/–, वार्षिक आय रु. 4,80,168 (369360+ 110808) होती है। मृतक शंकर लाल की आयु लगभग 41 वर्ष थी तथा वह विवाहित था तथा दावाकर्ता (कुल 3) मृतक की पत्नी एवं संतानें हैं, अतः व्यक्तिगत व्यय के लिए कटौती 1/3 अर्थात 1,60,056/– रुपये होगी, वार्षिक आश्रितता 3,20,112/– रुपये (480168–160056) होती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **सरला वर्मा (श्रीमती) व अन्य विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम व अन्य (2009) 6 एससीसी 121** तथा **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी व अन्य (2017) 16 एससीसी 680** में पारित निर्णय के आलोक में मृतक की आयु को विचार में रखते हुए 14 का गुणक लागू करने पर आश्रितता की कुल हानि 3,20,112/– रुपये होती है। 44,81,568/–। दावाकर्ता क्रमांक 1 से 3 (पत्नी और संतानों) संपदा की हानि के लिए 15,000/– रुपये, अंतिम संस्कार व्यय के लिए 15,000/– रुपये के हकदार है और **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध नानू, एआईआर ऑनलाइन 2018 एससी 189** में प्रकाशित प्रकरण के अनुसार, दावाकर्ता क्रमांक 1 से 3 (पत्नी और संतानों) दाम्पत्य साहचर्य और प्रेम और स्नेह की हानि के लिए 40,000/– रुपये प्रत्येक अर्थात् 1,20,000/– रुपये के हकदार हैं। इस प्रकार, दावाकर्ता क्रमांक 1 से 3 (पत्नी और संतानों) निम्नलिखित रुप से कुल 46,31,568/– रुपये के क्षतिपूर्ति के हकदार बनेंगे:–

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

क्रमांक	मद	गणना
01	आश्रितता की हानि हेतु	रु. 44,81,568/–
02.	संपदा की हानि हेतु	रु. 15,000/–
03.	दावाकर्ता क्रमांक 1 से 3 (पत्नी व संतानों) को प्रेम और स्नेह हेतु @रु. 40,000/–	रु. 1,20,000/–
04.	अंतिम संस्कार व्यय	रु. 15,000/–
	कुल	**रु.46,31,568/–**

16. तदनुसार, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 3 संयुक्त रूप से और पृथक–पृथक अपीलार्थी क्रमांक 1 से 3/दावाकर्तागण को कुल ₹ 46,31,568/– क्षतिपूर्ति राशि का संदाय करेंगे। क्षतिपूर्ति राशि पर दावा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक संदाय की तिथि तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा। चूंकि दुर्घटना के समय वाहन का बीमा किया गया था, अतः क्षतिपूर्ति के संदाय का प्राथमिक दायित्व बीमा कंपनी पर होगा।

17. दावा अधिकरण क्षतिपूर्ति राशि के विभाजन, निवेश और संवितरण के संबंध में उचित आदेश पारित करेगा।

<u>**विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 2213/2019**</u>

18. मृतक जगत राम सोरी की आय के संबंध में, यद्यपि अधिकरण के समक्ष प्रस्तुत दावा आवेदन में जगत राम के दावाकर्तागण ने जगत राम की आय 4,673 रुपये होने का तर्क किया था, परंतु इस तथ्य को विचार में रखते हुए कि मृतक जगत राम सोरी एक दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी था, न कि एक स्थायी कर्मचारी, दुर्घटना की तिथि को विद्यमान वेतन संरचना, मूल्य सूचकांक और जीवन यापन व्यय आदि विशेष रूप से श्रम विभाग द्वारा न्यूनतम मजदूरी के लिए अधिसूचना पर विचार करते हुए, मैं दुर्घटना के सुसंगत समय अर्थात् दिनांक 15.11.2018 को मृतक की आय 8,140/– रुपये प्रति माह न्यूनतम मजदूरी के रूप में लेना उचित समझता हूं। वार्षिक आय 97,680 रुपये प्रति वर्ष आती है। **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी व अन्य, (2017) 16 एससीसी 680** में भविष्य की संभावनाओं हेतु 10% जोड़ने के बाद अर्थात् 9,768/– रुपये, वार्षिक आय 1,07,448/– रुपये (97680+ 9768) होती है। मृतक जगत राम की आयु लगभग 55 वर्ष थी और वह विवाहित था और दावाकर्ता (कुल 3) मृतक की पत्नी और संतानें हैं, तो व्यक्तिगत व्यय हेतु कटौती 1/3 अर्थात् 35,816/– रुपये होगी, वार्षिक आश्रितता 71,632/– रुपये (107448–35816) होती है। **सरला वर्मा (श्रीमती) व अन्य विरुद्ध दिल्ली परिवहन निगम व अन्य (2009) 6 एससीसी 121** और **नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध प्रणय सेठी व अन्य, (2017) 16 एससीसी 680** में माननीय उच्चतम न्यायालय के निर्णय के दृष्टिगत, मृतक की आयु को विचार में रखते हुए, 11 का गुणक लागू करने के बाद, आश्रितता की कुल हानि 7,87,952/– रुपये बनती है। दावाकर्ता क्रमांक 1 से 3 (पत्नी और संतानों) संपदा की हानि हेतु 15,000/– रुपये, अंतिम संस्कार व्यय हेतु 15,000/– रुपये के हकदार है और **मैग्मा जनरल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड विरुद्ध नानू, एआईआर ऑनलाइन 2018 एससी 189** में प्रकाशित प्रकरण के अनुसार, दावाकर्ता क्रमांक 1 से 3 (पत्नी और संतानों) दाम्पत्य साहचर्य और प्रेम और स्नेह की हानि के लिए 40,000/– रुपये प्रत्येक अर्थात् 1,20,000/– रुपये के हकदार हैं। इस प्रकार, दावाकर्ता क्रमांक 1 से 3 (पत्नी और संतानों) निम्नलिखित रुप से कुल 9,37,952/– रुपये के क्षतिपूर्ति के हकदार होंगे:–

क्रमांक	**मद**	**गणना**
01	आश्रितता की हानि हेतु	रु. 7,87,952/–
02	संपदा की हानि हेतु	रु. 15,000/–
03	दावाकर्ता क्रमांक 1 से 3 (पत्नी व संतानों) को प्रेम और स्नेह हेतु @रु. 40,000/–	रु. 1,20,000/–
04	अंतिम संस्कार व्यय	रु. 15,000/–
	कुल	**रु.9,37,952/–**

WebCopy High Court of Chhattisgarh Bilaspur

19. तदनुसार, प्रत्यर्थी क्रमांक 1 से 3 संयुक्त रूप से और पृथक–पृथक अपीलार्थी क्रमांक 1 से 3/दावाकर्तागण को कुल ₹ 9,37,952/– का संदाय करेंगे। क्षतिपूर्ति राशि पर दावा आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से वास्तविक संदाय की तिथि तक 6% प्रति वर्ष की दर से ब्याज देय होगा। चूंकि दुर्घटना के समय वाहन का बीमा किया गया था, अतः क्षतिपूर्ति के संदाय का प्राथमिक दायित्व बीमा कंपनी का होगा।

20. दावा अधिकरण क्षतिपूर्ति राशि के प्रभाजन, निवेश और संवितरण के संबंध में उचित आदेश पारित करेगा।

21.फलस्वरुप, अपीलें (विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 2206/2019 एवं विविध अपील क्षतिपूर्ति क्रमांक 2213/2019) **स्वीकार** की जाती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

22.अधिकरण के अभिलेखों सहित इस आदेश की एक प्रतिलिपि अनुपालनार्थ और आवश्यक कार्रवाई, यदि कोई हो, हेतु प्रेषित की जाए।

सही/–

(संजय कुमार जायसवाल)

न्यायाधीश

(Translation has been done through AI Tool: SUVAS)

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा । समस्त कार्यालयी एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**